मुन्नीदेवी व अन्य बनाम राज्य सरकार
प्रकरण संख्याः– 179/2022 (प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–21/02/2025

# निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

**प्रकरण सख्या :– 179/2022 प्रार्थनापत्र**
**दायर दिनांक :– 27/06/2022**
**निर्णय दिनांक :– 21/02/2025**

**अनवान**

1. मुन्नीदेवी पत्नि मनोहरलाल हरिजन निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. दिलीप पिता मनोहरलाल हरिजन निवासी आजंना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

**बनाम**

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर ग्राम जेमाखेड़ा पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 37 आराजी संख्या 325 कुल किता 01 कुल क्षैत्रफल 2.1600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि का प्रार्थीगण खातेदार मालिक है एवं उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज कास्त हैं परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जो प्रार्थी संख्या 01 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 02 के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज हैं तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी संख्या 02 के पिता का नाम मगनीराम पिता गणेश दर्ज हैं वह गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी संख्या 02 के पिता का वास्तविक सही नाम मनोहरलाल पिता गणेश है। उक्त राजस्व जमाबन्दी में दर्ज नाम मगनीराम पिता गणेश की जानकारी प्रार्थीगण को आज दिन पहले नहीं थी। राजस्व

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी संख्या 02 के पिता का नाम जो गलत दर्ज हैं उसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी परन्तु अभी भूमि की जमाबन्दी निकलवाने पर प्रार्थीगण को जमाबन्दी के नाम में त्रुटि की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थीगण में कम्प्यूटर से ऑनलाईन नकल प्राप्त की तो पता चला कि प्रार्थी संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी संख्या 02 के पिता के नाम में त्रुटि है और मनोहरलाल के स्थान पर मगनीराम दर्ज हैं जो त्रुटिवश दर्ज है। प्रार्थी संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी संख्या 02 के पिता का नाम का वास्तविक एवं सभी दस्तावेजों में नाम मनोहरलाल पिता गणेश ही हैं एवं सभी राजकीय एवं अराजकीय कार्य भी इसी नाम से सम्पादित किये जाते है। राजस्व रिकॉर्ड में नाम की त्रुटि की वजह से प्रार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधार कार्ड, राशनकार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में व प्रार्थी संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी संख्या 02 के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक में भी मनोहरलाल पिता गणेश अंकित हैं सिर्फ त्रुटिवश राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम मगनीराम पुत्र गणेश दर्ज हो गया है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02 के पिता के नाम में त्रुटि होने से प्रार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को शुद्ध करते हुए प्रार्थी संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी संख्या 02 के पिता का नाम मगनीराम पिता गणेश के स्थान पर मनोहरलाल पुत्र गणेश किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब मय पटवारी हल्का आंजना की जांच रिपोर्ट पेश की गई जवाब में उल्लेखित है कि ग्राम आंजना के वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 37 में मगनीराम पुत्र गणेश हरिजन सा0

सहायक कलेक्टर कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार मगनीराम पुत्र गणेश हरिजन के संलग्न दस्तावेज मौका पर्चा अनुसार नाम मनोहरलाल पुत्र गणेश जाति हरिजन दर्ज हैं।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि किया जाना न्याय हित में आवश्यक है प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक में भी मनोहरलाल पिता गणेश दर्ज है जो कि सही है। भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> 90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जवाब व पटवारी हल्का आंजना की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों( आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, कक्षा 10 की अंकतालिका, पेनकार्ड ) पैरोकार

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देयगढ़, जिला-राजसमन्द

सरकार के जवाब के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम आंजना पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 37 आराजी संख्या 325 कुल किता 01 कुल क्षैत्रफल 2.1600 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी संख्या 02 के पिता का नाम मगनीराम पिता गणेश के स्थान पर मनोहरलाल पुत्र गणेश राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21 / 02 / 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

( अर्चना चौधरी, R.A.S. )
सहायक कलेक्टर देवगढ़
जिला राजसमन्द